कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 3232/11–सी–FP/UP/water/150368/2021, लखनऊ, दिनांकः मई 17 ,2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त,
बाँदा।

विषयः– उ0प्र0 जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत सलईंया–नाथूपुरा, लहचुरा–काशीपुरा, धवर्रा–सिजवाहा, शिवहर एवं कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना में पेय जल पाइप लाइन बिछाने हेतु जिला–महोबा में प्रभावित 12.4869 हे0 संरक्षित एवं 1.9665 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 14.4534 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 375 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–2857/11–सी–FP/UP/water/150368/2021, दिनांक 08.04.2022 एवं आपका पत्रांक–2716/33–1, दिनांक 10.05.2022

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा इंगित की गयी कमियों का निराकरण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा इस इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में पुनः निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्ताव में पूर्व का त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन पार्ट–1 संलग्न किया गया है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर संशोधित ऑनलाइन पार्ट–1 प्रस्ताव में संलग्न करें।
2. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दी जाने वाली गैर वनभूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक–वी0आई0पी0–23/14–2–2019–190 जी/2018, दिनांक 28.06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र पुनः संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक–1428/11–सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र पुनः संलग्न नहीं किया गया है।
4. भू–स्वामित्व वाले विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के क्रम में पत्राचार संलग्न किया गया है, जबकि अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न करें।
5. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–21 पर संलग्न प्रमाण पत्र एवं पृष्ठ सं0–40 से 52 पर संलग्न किये गये गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राक्कलन में गैर वनभूमि को वनभूमि दर्शाया गया है तथा प्राक्कलन में शीर्षक भी गलत अंकित है। अतः सही कर संशोधित प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
6. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही गैर वनभूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।
7. प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का उपयुक्तता प्रमाण पत्र, प्राक्कलन, Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet & kml file ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड नहीं है।
8. प्रस्ताव में संलग्न पेनड्राइव में प्रस्तावित की के0एम0एल0 फाइल अपलोड नहीं है। अतः अपलोड करें।
9. प्रस्ताव में संलग्न पेनड्राइव में अपलोड की गयी अवनत वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल त्रुटिपूर्ण है एवं ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड की गैर वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल पर ओवरलैप कर रही है। अतः प्रस्ताव के साथ संलग्न पेनड्राइव में वृक्षारोपण हेतु चयनित अवनत वनभूमि एवं गैर वनभूमि की सही के0एम0एल0 फाइल अपलोड करें।
10. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पूर्ण पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों में संलग्न करें तथा पेनड्राइव में अपलोड किये गये अनावश्यक अभिलेखों को डिलिट करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 3232 /11–सी–FP/UP/water/150368/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग, महोबा।
2. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, महोबा ।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।